भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 254

30 नवम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-पाम ऑयल

254. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री रवि किशन:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री मनोज तिवारी:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीधर कोटागिरी:
श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा पाम आयल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पाम ऑयल सहित खाद्य तेल में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-पाम ऑयल (एमएमईओ-ओपी) शुरू किया है यदि हां, तो उक्त मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा उक्त मिशन के लिए सरकार द्वारा संस्वीकृत और जारी निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाम ऑयल कृषि पर्यावरण के लिए अच्छा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पाम और तिलहन की खेती के लिए किसी क्षेत्र विशेष को चिह्नित/चयन किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पाम कृषि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है यदि हां, तो जल की मांग की पूर्ति के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) पाम आयल की खेती के लिए किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार इसके लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर भी विचार कर रही है?

<u>उत्तर</u>

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत ने 133.5 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया, जिसमें से पाम ऑयल की हिस्सेदारी लगभग 56% थी। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम **(एनएमईओ-**

ओपी) को आयात बोझ को कम करने के उद्देश्य से, क्षेत्र के विस्तार, कच्चे पाम ऑयल उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। एनएमईओ-ऑयल पाम की मुख्य विशेषताओं में रोपण सामग्री, रोटेशन पीरियड (4 साल) तक अंतर्फसलन के लिए आदानों और रखरखाव, बीज उद्यानों की स्थापना, नर्सरी, सूक्ष्म सिंचाई, बोरवेल/पंपसेट/जल संचयन संरचना, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, सोलर पंप, हार्वेस्टिंग टूल्स, कस्टम हायरिंग सेंटर कम हार्वेस्टर ग्रुप्स, किसानों और अधिकारियों को प्रशिक्षण, और पुराने ऑइल पॉम बागानों इत्यादि को फिर से लगाने के लिए सहायता शामिल हैं।

एनएमईओ (ऑयल पाम) योजना की कुल स्वीकृत लागत 11,040 करोड़ रूपए है, जिसमें से 8844 करोड़ रूपए केंद्रीय हिस्सा और 2196 करोड़ रूपए राज्य का हिस्सा है। वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए कुल 10422.69 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) एवं (घ): आईसीएआर– भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान (आईआईओपीआर) की पुनर्मूल्यांकन समिति **2020** ने पाम ऑयल की खेती के लिए लगभग **28** लाख हेक्टेयर क्षमता का आकलन किया है। संभावित क्षेत्र का आकलन करते हुए, आईसीएआर-आईआईओपीआर ने सभी पर्यावरण और जैव विविधता मानकों पर विचार किया और चयनित जिलों और राज्यों में इसकी खेती की सिफारिश की। भारत में 2020 में आईसीएआर-आईआईओपीआर द्वारा मूल्यांकित राज्य-वार संभावित क्षेत्र **अनुबंध- I** में दिया गया है।

वार्षिक खाद्य तिलहन अर्थात; सोयाबीन, रेपसीड और सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर भी देश में उगाए जाते हैं। इन फसलों के लिए संभावित जिलों की पहचान भूमि की उपयुक्तता और औसत उपज के आधार पर की गई है।

(ड़): आईसीएआर-आईआईओपीआर के अनुसार, ऑयल पाम को अपनी अनुकूलतम खेती के लिए चावल, केला और गन्ना जैसी फसलों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। इस मिशन के तहत कुशल जल प्रबंधन और जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए ऑयल पाम में सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

(च) एवं (छ): एनएमईओ (ओपी) के तहत विभिन्न घटकों के लिए सहायता की दर अनुबंध-**II** में दी गई है। तिलहन के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) (एनएफएसएम-ओएस) के तहत सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें तीन व्यापक कार्यक्रम हैं जैसे बीज घटक, उत्पादन आदान और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। एनएफएसएम (ओएस) के तहत विभिन्न घटकों की सहायता की दर अनुबंध-**III** में दी गई है।

अनुबंध -I

"राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम" के संबंध में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, श्री रवि किशन, श्री प्रतापराव जाधव, श्री मनोज तिवारी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री सुब्रत पाठक, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री श्रीधर कोटागिरी और श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा 30.11.2021 के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 254 के भाग **(ग) एवं (घ)** के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत में 2020 में आईसीएआर-आईआईओपीआर द्वारा आकलित राज्य-वार क्षेत्र

क्र. सं.	**राज्य**	**संभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**जिलों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	531379	10
2	छत्तीसगढ	57149	15
3	गुजरात	62361	14
4	गोवा	2000	
5	कर्नाटक	72642	15
6	उड़ीसा	34291	17
7	तमिलनाडु	95719	17
8	तेलंगाना	436325	27
9	केरल	43676	8
10	बिहार	123148	35
11	मध्य प्रदेश	118079	29
12	महाराष्ट्र	162210	28
13	उत्तर प्रदेश	48663	9
14	पश्चिम बंगाल	45463	11
15	अरुणाचल प्रदेश	133811	11
16	अंडमान और निकोबार	3000	एनए
17	असम	375428	10
18	मणिपुर	66652	6
19	मेघालय	122637	4
20	मिजोरम	66792	8
21	नागालैंड	51297	6
22	त्रिपुरा	146364	4
	योग	**2799086**	**284**

अनुबंध –II

"राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम" के संबंध में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, श्री रवि किशन, श्री प्रतापराव जाधव, श्री मनोज तिवारी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री सुब्रत पाठक, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री श्रीधर कोटागिरी और श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा 30.11.2021 के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 254 के भाग (च) एवं (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनएमईओ (ओपी) के तहत विभिन्न घटकों की सहायता की दर

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>घटक</th><th>सहायता (2021-22 से 2025-26 तक)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>रोपण सामग्री</td><td>किसानों को संपूर्ण भूमि जोत के लिए पहले वर्ष के दौरान, रोपण सामग्री की खरीद के लिए, स्वदेशी के लिए 20,000 रुपए/हेक्टेयर और आयातित पौध के लिए 29,000 रुपए/हेक्टेयर (परिवहन लागत सहित) प्रदान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>परियोजना पूरी होने की अवधि (4 वर्ष) तक प्रबंधन</td><td rowspan="2">4 वर्षों के लिए परियोजना पूरी होने की अवधि के दौरान, अंतर-फसल और रखरखाव लागत के लिए किसानों को सामान्य राज्यों में 42,000 रुपए /हेक्टेयर और पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 50,000 रुपए /हेक्टेयर प्रदान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अंतरफसल के लिए इनपुट</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बीज उद्यानों की स्थापना</td><td>आवश्यक अवसंरचना और कम से कम 15 हेक्टेयर क्षेत्र वाले नए बीज उद्यान (प्रति वर्ष 10.00 लाख पौध क्षमता) की स्थापना के लिए राजसहायता के रूप में एकमुश्त सहायता नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रदान की जाएगी:
<table>
<tr><th>फसल</th><th>एकमुश्त अनुदान (रुपए /उद्यान)</th><th>परिक्रामी निधि</th></tr>
<tr><td>ऑयल पाम</td><td>आरओआई के लिए 40.00 रुपए और पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 50.00 रुपए</td><td>आरओआई के लिए 40.00 रुपए और पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 50.00 रुपए</td></tr>
</table>
ii) नर्सरी के लिए आरओआई के लिए 40.00 लाख रुपए और पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 50.00 लाख रुपए</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>5</td><td>ड्रिप सिंचाई</td><td>पीएमकेएसवाई मानदंडों के अनुसार</td></tr>
<tr><td>6</td><td>बोरवेल/पंप सेट/जल संचयन संरचना/ वर्मी कम्पोस्ट इकाई</td><td>एमआईडीएच दिशानिर्देशों के अनुसार
सौर पंप: पीएम-कुसुम मानदंडों के अनुसार</td></tr>
<tr><td>7</td><td>फसल कटाई उपकरण</td><td>निम्नानुसार सहायता
<table><tr><th>उपकरण</th><th>रुपए प्रति इकाई</th></tr><tr><td>कटर</td><td>2500</td></tr><tr><td>तार का जाल</td><td>20000</td></tr><tr><td>मोटर चालित छेनी</td><td>15000</td></tr><tr><td>पोटेबल सीढ़ी/पोल</td><td>5000</td></tr><tr><td>चारा कटर</td><td>50000</td></tr><tr><td>ट्रैक्टर ट्रॉली</td><td>200000</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>कस्टम हायरिंग सेंटर सह हार्वेस्टर समूह</td><td>प्रत्येक राज्य में प्रोसेसर/राज्य/एसएचजी/एफपीओ/पंजीकृत सोसायटियों द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर सह एफएफबी हार्वेस्टर समूह बनाया जाएगा।
उपकरण, औज़ार, प्रशिक्षण, आकस्मिकता, अनुरक्षण आदि के लिए 25.00 लाख रुपए प्रति यूनिट का एकमुश्त अनुदान।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल्स</td><td>पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए, नई ऑयल पाम मिल के लिए 5.00 मीट्रिक टन / घंटा की एक इकाई के लिए लागत का 50% जो 500.00 लाख रुपए तक सीमित होगा।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए विशेष पैकेज</td><td>(i) फील्ड से नजदीकी एफएफबी संग्रह/प्रसंस्करण केंद्र तक सड़कों के लिए वास्तविक लागत का 50% और ऑयल पाम पर कुल परिव्यय का 20%।
(ii) पाम ऑयल रोपण से पहले भूमि की सफाई के लिए सहायता (3000 रुपए /- प्रति हेक्टेयर)
(iii) हाफ-मून टैरेस (4000 रुपए /- प्रति हेक्टेयर)
(iv) ऑयल पाम के खेत में बाँस और अन्य साधनों से 11 उपयुक्त बाड़ लगाकर जैव बाड़ लगाना (4000 रुपए /- प्रति हेक्टेयर)।
(v) बैक यार्ड कुक्कुटपालन, पशु, चारा, किचन गार्डनिंग आदि के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए 10000 रुपए की दर से।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>किसान और अधिकारी प्रशिक्षण</td><td>(i) किसान प्रशिक्षण: 30 किसानों के एक बैच के लिए 2 दिनों के लिए 30000 रुपए /- प्रति प्रशिक्षण (500/- प्रति प्रतिभागी प्रति दिन की दर से) ।

(ii) इनपुट डीलर शामिल हैं।

(iii) 20 अधिकारियों के एक बैच के लिए 2 दिनों के लिए प्रति प्रशिक्षण 40000 रुपए /- अधिकारी प्रशिक्षण । (1000 रुपए /- प्रति प्रतिभागी प्रति दिन की दर से)।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>पुराने ऑयल पाम के बगीचे का पुनर्रोपण</td><td>(i) 25-30 वर्ष की आयु के बाद पुराने बगीचों के पुनर्रोपण के लिए 250 रुपए /- प्रति पौधा (नया गड्ढा खोदना, उखाड़ना, बदलना और खोदना) की दर से लागत का 50% एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य धारक:</td></tr>
</table>

		राज्य/संसाधक
13	आर एंड डी और उत्कृष्टता केंद्र	आईसीएआर/एसएयू/सीएयू को आवश्यकता आधारित सहायता

अनुबंध-III

"राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम" के संबंध में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, श्री रवि किशन, श्री प्रतापराव जाधव, श्री मनोज तिवारी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री सुब्रत पाठक, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री श्रीधर कोटागिरी और श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा 30.11.2021 के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 254 के भाग (च) एवं (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनएफएसएम (ओएस) के तहत विभिन्न घटकों की सहायता की दर

क्र. सं.	घटक	हिस्सेदारी का पैटर्न	सहायता की दर
1	ब्रीडर बीज / पैतृक वंश (हाइब्रिड बीज के उत्पादन के लिए) की खरीद	100%	एनएफएसएम-ओएस कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बीज प्रभाग द्वारा निर्धारित ब्रीडर बीजों की पूरी कीमत पर केंद्र/राज्य/बीज एजेंसियों द्वारा आईसीएआर/एसएयू आदि से ब्रीडर बीजों की खरीद में सहायता करेगा।
2	आधारी बीज का उत्पादन	60:40 / 90:10	पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी सभी किस्मों / हाइब्रिड के लिए 2500 रुपए/ क्विंटल और पिछले 5 वर्षों में जारी की गई किस्मों / हाइब्रिड पर 100 रुपये / क्विंटल की अतिरिक्त सहायता। सब्सिडी राशि का 75% किसानों के लिए और 25% बीज उत्पादक एजेंसियों के लिए प्रमाणीकरण और उत्पादन आदि के लिए व्यय को पूरा करने के लिए है।
3	प्रमाणित बीज का उत्पादन	60:40 / 90:10	-यथोपरि-
4	प्रमाणित बीज का वितरण	60:40 / 90:10	तिल को छोड़कर जो 15 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, सभी तिलहनों की किस्मों/सम्मिश्र के लिए लागत का 50% जो 4000 रुपए/क्विंटल तक सीमित होगा।
			संकर: प्रमाणित संकर बीजों के वितरण के लिए लागत का 50% @ 8000 रुपये प्रति क्विंटल संकर और तिल की किस्मों के वितरण के लिए सहायता, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं।
5	मिनिकिट का वितरण	100%	प्रत्येक 25 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रत्येक फसल के लिए 100 प्रतिशत लागत प्रतिपूर्ति की दर से 1 मिनीकिट की दर से आवंटन किया जायेगा।
			एजेंसियां: एनएससी/नैफेड/कृभको/इफको/एचआईएल/आईएफएफडीसी/केंद्रीय बहु-राज्य सहकारी समितियां जैसे एनसीसीएफ/चिन्हित एसएससी।
6	बीज हब	100 %	1.50 करोड़ रु. प्रति बीज हब।
7	बीज अवसंरचना विकास	60:40 / 90:10	राज्यों और उनकी एजेंसियों को लागत की 50% सहायता • केन्द्रीय बीज उत्पादन एजेंसियों को लागत की 75% सहायता • एसएयू/केवीके को लागत की 100% सहायता।
8	बीज भंडारण डिब्बे	60:40/	लागत का 25% जो 1-10 क्विंटल क्षमता वाले प्रति बिन

		90:10	1,000 रुपये तक सीमित है।
9	पर्यावरण के अनुकूल प्रकाश-जाल (एनसीआईपीएम मॉडल) और बीज उपचार ड्रम सहित पौध संरक्षण उपकरण।	60:40/90:10	मैनुअल स्प्रेयर के लिए: नैपसैक/फुट ऑपरेटेड स्प्रेयर और इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप (एनसीआईपीएम), खरीद की लागत का 40%, जो 600 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन /- प्रति उपकरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/छोटे/सीमांत किसानों/महिलाओं, समूहों>5 सदस्य एफपीओ और पूर्वोत्तर राज्यों को अतिरिक्त 10% सहायता जो 750/- रुपये प्रति यूनिट की सीमा तक)। 50% सहायता की दर से 20 किग्रा और 40 किग्रा क्षमता वाले बीज उपचार ड्रम क्रमशः 1750/- और रु. 2000/- रुपये प्रति यूनिट की सीमा के अधीन । नैपसेक पावर स्प्रेयर (16 लीटर से कम क्षमता) के लिए खरीद की लागत का 50% की दर से जो प्रति यूनिट अधिकतम 3000 रुपये सीमा के अधीन (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/छोटे/सीमांत किसानों/महिलाओं, समूहों>5 सदस्य एफपीओ और पूर्वोत्तर राज्यों को अतिरिक्त 10% सहायता 3800/- रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा तक) । नैपसेक पावर स्प्रेयर (16 लीटर से ऊपर की क्षमता) के लिए खरीद की लागत का 40% की दर से जो 4000 रुपये /- प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत किसानों/महिलाओं, समूहों>5 सदस्य एफपीओ और पूर्वोत्तर राज्यों को अतिरिक्त 10% सहायता जो 5000/- रुपये प्रति यूनिट की सीमा तक) ।
10	पौध संरक्षण रसायन	60:40/ 90:10	पीपी रसायनों, कीटनाशकों, कवकनाशी, जैव-कीटनाशकों, खरपतवारनाशी, जैव-एजेंटों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जैव-उर्वरक आदि की आवश्यकता आधारित आपूर्ति लागत का 50% की दर से जो 500/- हेक्टेयर तक सीमित है।
11	जिप्सम/पाइराइट लाइमिंग/डोलोमाइट/सिंगल सुपर फास्फेट आदि का वितरण/	60:40/ 90:10	सामग्री की 50% लागत + परिवहन जो 750 रुपये /- प्रति हे., जो भी कम हो, तक सीमित। सल्फर के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सल्फर 80% डब्ल्यूडीजी को भी नए घटक के रूप में शामिल किया गया है।
12	परमाणु पॉलीहेड्रोसिस वायरस (एनपीवी)	60:40/ 90:10	एनपीवी के लिए लागत का 50% जो 500/हेक्टेयर तक सीमित है।
13	राइजोबियम कल्चर/पीएसबी/जेडएसबी) /एजाटोबैक्टर/ माइकोराइजा आदि की आपूर्ति	60:40/ 90:10	राज्य के कृषि विभाग (एएपी के तहत) को कल्चर की लागत का 50% की दर से सहायता प्रदान की जाएगी जो अधिकतम पाउडर/दानेदारों/तरल रूपों में संवर्धन के लिए 300 रु प्रति हेक्टेयर होगी।

<table>
<tr><td>14</td><td>खेती के उन्नत औजारों की आपूर्ति</td><td>60:40/
90:10</td><td>छेनी सहित हस्तचालित/बैल से खींचे जाने वाले उपकरण लागत का 40% जो प्रति उपकरण 8000/- रुपये तक सीमित है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/छोटे/सीमांत किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों को अतिरिक्त 10% सहायता 0.10 लाख रुपये प्रति यूनिट की सीमा तक)।

ट्रैक्टर चालित, कृषि उपकरण जैसे रोटावेटर/सीड ड्रिल/जीरो टिल सीड ड्रिल/मल्टी-क्रॉप प्लांटर/जीरो टिल मल्टी-क्रॉप प्लांटर/रिज फरो प्लांटर/रेज्ड बेड प्लांटर/पावर वीडर/मूंगफली खोदने वाले और मल्टी क्रॉप थ्रेशर: प्रति यूनिट लागत के 40% जो 50000 रुपये तक सीमित है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / छोटे / सीमांत किसानों / महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों को प्रति यूनिट 0.63 लाख रुपये की सीमा के साथ अतिरिक्त 10% सहायता ।.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>स्प्रिंकलर सेट का वितरण</td><td>60:40/
90:10</td><td>1 हेक्टेयर के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की लागत 19542/- से 21901 रु./- प्रति हेक्टेयर और पीएमकेएसवाई के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोग किए जाने वाले पाइप के व्यास के आधार पर रेन-गन के मामले में 28681 रु. /- से 34513/- रुपये प्रति हेक्टेयर।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>स्रोत से खेत तक पानी वाहक पाइप</td><td>60:40/
90:10</td><td>एचडीपीई पाइप के लिए लागत की 50% दर से जो 50 रुपये /- प्रति मीटर तक सीमित, पीवीसी के लिए 35 रु./- प्रति मीटर और एचडीपीई लैमिनेटेड वेट लैट फ्लैट ट्यूब के लिए 20 रु./- प्रति मीटर।</td></tr>
<tr><td>17</td><td>क्लस्टर प्रदर्शन</td><td>60:40/
90:10</td><td>अंतरफसल सहित बेहतर पैकेज प्रदर्शन। प्रत्येक फसल के तहत एक किसान को एक प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी, जो आदानों की लागत का 50% तक सीमित होगी जो निम्नानुसार होगी -

<table>
<tr><th>फसल</th><th>सहायता की दर
(रुपये प्रति हेक्टेयर)</th></tr>
<tr><td>मूंगफली</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>सोयाबीन</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>आर एंड एम</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>सूरजमुखी</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>तिल / कुसुम / अरंडी</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>नाइजर</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>अलसी का बीज</td><td>3000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>मधुमक्खी पालन पर क्लस्टर प्रदर्शन</td><td>60:40/
90:10</td><td>
<table>
<tr><td>सूरजमुखी</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>आर एंड एम / नाइजर</td><td>5000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>18</td><td>फ्रंटलाइन प्रदर्शन</td><td>100%</td><td>एफएलडी के लिए अनिवार्य फसल मूंगफली के लिए आईसीएआर- और आईसीआरआईएसएटी द्वारा और क्लस्टर प्रदर्शन आईसीएआर- केवीके द्वारा।</td></tr>
<tr><td>19</td><td>केवीके द्वारा सीएफएलडी</td><td>100%</td><td><table><tr><th>फसल</th><th>सहायता की दर
(रुपये प्रति हेक्टेयर)</th></tr><tr><td>मूंगफली</td><td>12000</td></tr><tr><td>सोयाबीन</td><td>7500</td></tr><tr><td>आर एंड एम</td><td>6000</td></tr><tr><td>सूरजमुखी</td><td>6000</td></tr><tr><td>तिल / कुसुम / अरंडी / नाइजर / अलसी</td><td>5000</td></tr></table>प्रदर्शन प्लाट के आकार में कमी के साथ यथानुपात आधार पर सहायता दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>20</td><td>एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम)</td><td>60:40/
90:10</td><td>फार्मर्स फील्ड स्कूल (एफएफएस) को बायो-एजेंटों के प्रदर्शन सहित 26,700/- रुपये प्रति एफएफएस की दर से सहायता दी जाएगी। लागत में प्रशिक्षण किट / सामग्री, आईपीएम किट, साहित्य और आकस्मिकता शामिल हैं।</td></tr>
<tr><td>21</td><td>किसान प्रशिक्षण</td><td>60:40/
90:10</td><td>30 किसानों के एक बैच के लिए 2 दिनों के लिए 24000 रु./- प्रति प्रशिक्षण (400/- प्रति प्रतिभागी प्रति दिन)</td></tr>
<tr><td>22</td><td>अधिकारी/विस्तार कर्मचारी प्रशिक्षण (इनपुट डीलर शामिल हैं)</td><td>60:40/
90:10</td><td>20 अधिकारियों के एक बैच के लिए 2 दिनों के लिए 36000/- रुपये प्रति प्रशिक्षण (प्रति दिन प्रति प्रतिभागी 900/-)</td></tr>
<tr><td>23</td><td>अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं</td><td>100%</td><td>आईसीएआर/एसएयू/केवीके/संस्थानों/संगठनों की आवश्यकता के आधार पर</td></tr>
<tr><td>24</td><td>फ्लेक्सी फंड</td><td colspan="2">राज्य सरकार 60:40 (सामान्य राज्य) /90 :10 (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य) के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार के बीच खर्च साझा करने पर कुल आवंटन के 10% के भीतर फ्लेक्सी फंड के तहत ऐसी गतिविधियां शामिल कर सकती हैं जो एनएफएसएम-ओएस कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम के रूप में शामिल नहीं हैं । दिशा-निर्देशों के पैरा 8.1.4 में दी गई सूची के अनुसार फ्लेक्सी फंड के अंतर्गत गतिविधियों को कवर किया जा</td></tr>
</table>

		सकता है।

****